संख्या- 10/2017/130/29-5-2017-5(7)/2002

प्रेषक,

गया प्रसाद कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल, 2017

विषय:-रबी क्रय योजना वर्ष 2017-18 में केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ क्रय मूल्य के भुगतान हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रारम्भ रबी क्रय वर्ष 2017-18 में गेहूँ खरीद की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-06/2017/139/29-5-2017-5(1)/17 दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। किसानों से खरीदे गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान सीधे कृषकों को करने के लिये तथा अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं का समयबद्ध रूप से संचालन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अधिकारों के प्रतिनिधायन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) रबी क्रय योजना वर्ष 2017-18 में गेहूँ क्रय के लिए खोले गये क्रय केन्द्रों को सार्वजनिक क्षेत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक की सी.बी.एस. शाखा से सम्बद्ध करके उक्त बैंक में बचत खाता (फीडर एकाउण्ट) खोलने के लिए वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाता है। कृषकों को उनकी उपज के विक्रय मूल्य का तुरन्त भुगतान केन्द्र स्तर से कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में होने पर आर.टी.जी.एस. द्वारा तथा यदि सी0बी0एस0 शाखा में खाता नहीं है, तो "पेईस एकाउन्ट ओनली" चेक द्वारा भुगतान किये जाने हेतु क्रय केन्द्रों पर तैनात केन्द्र प्रभारी को प्राधिकृत किया जायेगा।

(2) वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारियों को अनुदान संख्या-21 के "लेखा शीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" से निर्धारित सीमा तक अग्रिम आहरित करने तथा बैकों में खोले गये बचत खातों में जमा करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत किया जाता है कि वे बैंकों में बचत खाते खोलने हेतु उतना ही न्यूनतम अग्रिम धन आहरित करेंगें, जितना 07 (सात) दिन की गेहूँ खरीद के लिए आवश्यक हो और मुख्यालय द्वारा आवंटित धनराशि से अधिक न हो। वे इस प्रकार आहरित अग्रिम के साथ-साथ बैंकों में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि का, खरीद योजना की समाप्ति के तुरन्त बाद अग्रिम समायोजन कर लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यदि इस बचत खाते में किसी समय अधिक धन की आवश्यकता हो, तो संबंधित वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी स्वत: अथवा केन्द्र प्रभारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी की मांग/औचित्य को देखते हुए बचत खाते में विगत 07(सात) दिन के क्रय के समतुल्य से अनाधिक अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगें, परन्तु केन्द्र प्रभारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी पिछली खरीददारी के सभी लेखे एवं पेड वाउचर के साथ अतिरिक्त मांग का औचित्य भी प्रस्तुत करेंगे।

(4) वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी यदि अपने क्षेत्र के लिए मुख्यालय से आवंटित धनराशि को आवश्यकता से कम समझते हैं और खाद्यान्न के क्रय मूल्य के भुगतान की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने पर भी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तो ऐसी दशा में अग्रिम की अतिरिक्त धनराशि की वित्त नियंत्रक से मांग करेंगे, जिसके आवंटन की वे व्यवस्था करेंगें। इसके अतिरिक्त यदि किसी समय यह अनुभव किया जाता है कि इन बचत खातों में उपलब्ध धनराशि आवश्यकता से अधिक है अथवा बचत खातों को चालू रखने की आवश्यकता नहीं है तो इन बचत खातों की अवशेष धनराशि कम करने अथवा इन्हें बन्द कर सम्पूर्ण धनराशि को "लेखा शीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" में स्थानान्तरित करने हेतु वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारियों/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। इस खाते में रखे गये धन के रख-रखाव तथा इसे नियमानुसार व्यय करने का पूर्ण दायित्व केन्द्र प्रभारी का होगा तथा पर्यवेक्षणीय दायित्व वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारी तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होगा।

(5) प्रत्येक खरीद में केन्द्र प्रभारी द्वारा अपने अधिकार सीमा के अन्तर्गत इन बचत खातों में रखे गये धन का उपयोग निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार खाद्यान्न मूल्य के भुगतान हेतु निर्धारित की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रत्येक क्रय केन्द्र के लिए "स्टेट व्हीट पर्चेज एकाउन्ट 2017" के नाम से बैंकों में खोले गये बचत खातों को केन्द्र प्रभारी को एकल रूप से संचालित करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत किया जाता है कि वे 01 दिन में किसी एक कृषक को आर0टी0जी0एस0 (यदि कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में है)/" पेईज एकाउन्ट ओनली" चेक (यदि कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में नहीं है) द्वारा केवल अंकन रू0 5,00,000.00 (रूपये पाँच लाख मात्र) की सीमा तक ही भुगतान कर सकेगें। उक्त सीमा से अधिक क्रय किये गये खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान कार्यालय से किया जायेगा।

(7) क्रय केन्द्रों से भुगतान किये गये वाउचरों की उत्तर सम्परीक्षा लेखा अनुभाग के क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय द्वारा 48 घण्टे के भीतर कर ली जायेगी। गेंहू के क्रय के दौरान सम्भागीय कार्यालय के लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी समय-समय पर अधीनस्थ कार्यालयों/केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करेंगें कि विभिन्न मदों में शासकीय नियमों/आदेशों के अनुसार भुगतान हो रहा है और निर्धारित प्रारूप में लेखा-जोखा अद्यावधिक रखा जा रहा है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सप्ताह में एक बार एवं संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी माह में एक बार समस्त क्रय केन्द्रों का निरीक्षण अवश्य करेगें और यह भी सुनिश्चित करते रहेगें कि खरीद की मात्रा का स्टाक तथा उसकी क्वालिटी सही है, उसके रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध है और स्टाक का सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को त्वरित "डिलीवरी" किया जा रहा है। केन्द्र प्रभारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम से डिलीवरी के उपरान्त तत्काल एक्नॉलेजमेण्ट प्राप्त किया जायेगा एवं तत्काल बिलिंग सुनिश्चित करायी जायेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व के साथ निरंतर अनुश्रवण इस प्रकार किया जायेगा कि सम्भागीय लेखा कार्यालयों को बिलों के प्रेषण में केन्द्र प्रभारियों द्वारा कोई विलम्ब न होने पाये।

(8) केन्द्र प्रभारी द्वारा अंकन रू0 5,00,000.00 (रूपये पॉच लाख मात्र) की "फाइडेलिटी गारन्टी" आहरण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करनी होगी। उक्त "फाइडेलिटी गारन्टी" जमा कराने का दायित्व जिला खाद्य विपणन अधिकारी का होगा।

(9) हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल भुगतान वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारियों /सहायक संभागीय लेखाधिकारियों द्वारा किया जायेगा, किन्तु ऐसा करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि हैण्डलिंग ठेकेदारों ने नियमानुसार एग्रीमेण्ट फार्म भर दिया है और जमानत की धनराशि उनसे जमा करा ली गयी है।

(10) रू05,00,000.00 (रू0 पॉच लाख मात्र) से अधिक खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान कृषकों को वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारियों/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारियों द्वारा "पेईस एकाउन्ट ओनली" चेक (यदि कृषक का खाता बैंक की सी0बी0एस0 शाखा में नहीं है)/आर.टी.जी.एस. (यदि सी0बी0एस0 शाखा में है) (फीडर एकाउन्ट) के माध्यम से किया जायेगा। परिवहन ठेकेदारों को उनके कार्य का पूरा भुगतान प्रचलित प्रणाली के अनुसार "पेईस एकाउन्ट ओनली" चेक द्वारा किया जायेगा।

(11) प्रस्तर-5 व 6 में उल्लिखित व्यवस्था प्रदत्त अधिकार सशर्त हैं। अतएव उक्त शर्त/प्रतिबंध का अनुपालन करने के उपरान्त ही इस अधिकार का उपयोग किया जायेगा। इस अधिकार/व्यवस्था के दुरूपयोग की स्थिति में दोषी अधिकारी/केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(12) रबी क्रय योजना में भारतीय खाद्य निगम से गेंहूँ के मूल्य की धनराशि का आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये जाने के लिये सम्भागीय लेखा कार्यालय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक की सी.बी.एस. शाखा में एक बचत खाता खोला जायेगा तथा उक्त खाते में जमा धनराशि को अतिशीघ्र "लेखाशीर्षक-4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय- 01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ती-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति"में तत्काल जमा कर दिया जायेगा।

(13) गेंहूँ खरीद योजना हेतु वित्तीय प्रबन्ध में खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर खरीद वर्ष 2017-18 के लिए योजना का प्रचार-प्रसार, क्रय कार्य हेतु कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण, टेलीफोन/मोबाइल, स्टेशनरी पर व्यय, क्रय केन्द्रों के निरीक्षणार्थ किराये पर वाहन तथा पी.ओ.एल. की व्यवस्था, अस्थायी मानव संसाधन की व्यवस्था, हैण्डलिंग एवं परिवहन व्ययों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भुगतान, बोरों की आपूर्ति, वर्षा आदि से खाद्यान्नों के बचाव तथा रख-रखाव के लिए त्रिपाल, क्रेट्स, पॉलिथीन कवर तथा अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाना तथा गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग तथा खाद्य आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जायेगी। यदि ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है, जो नीति विषयक होगा या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित होगा, तो आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(14) उपरोक्तानुसार भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के "अनुदान संख्या-21 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूँजीगत परिव्यय- 01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री और सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

(15) धनराशि को बैंकों में जमा किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-ए-1-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-3-2012 के अनुपालन में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष मे जमा कराना होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ-ए-1-148/दस-2017-/10-2017 दिनांक 21 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

गया प्रसाद कमल
विशेष सचिव

संख्या- 10 /2017/130(1)/29-5-2017-5(7)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।
8- समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी/सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।
9- समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0

आज्ञा से,

धर्म चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in